बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 29.01.2026

संख्या–7 / मुक0–08–49 / 2025–सा0प्र0 2090 / भारत संविधान के अनुच्छेद 233, सहपठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "**बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026**" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–5(ग)(iii) एवं नियम–16(ङ) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (i)(c) में "पात्र अधिवक्ताओं"** शब्दों के बाद, **"/न्यायिक अधिकारियों"** शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।

3. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'ग' के खंड–3 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'ग' के खंड–3 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

खंड–3 (i) कोई भी आवेदक जिसने आवेदन की तिथि तक अधिवक्ता/वकील के रूप में जिसमें सरकारी अधिवक्ता और लोक अभियोजक भी सम्मिलित हैं, लगातार 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक का अभ्यास (प्रैक्टिस) पूर्ण कर लिये हो तथा जिसने विगत 3 (तीन) वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 24 (चौबीस) मामलों में उपस्थिति की घोषणा पत्र दिये हो, ऐसी नियुक्ति के लिए विचारण किये जाने हेतु पात्र होगा;

(ii) न्यायिक अधिकारी जिन्होंने अधीनस्थ न्यायिक सेवा में भर्ती होने से पूर्व आवेदन की तिथि तक अधिवक्ता/वकील के रूप में जिसमें सरकारी अधिवक्ता और लोक अभियोजक भी सम्मिलित हैं, लगातार 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक का अभ्यास (प्रैक्टिस) पूर्ण कर लिये हों, वे भी ऐसे पद पर विचारण एवं नियुक्त किये जाने हेतु पात्र होंगे;

(iii) वह व्यक्ति जो न्यायिक सेवा में रहा हो या वर्तमान में न्यायिक सेवा में हो तथा जिसके पास आवेदन की तिथि तक अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी के रूप में लगातार 7 (सात) वर्ष या उससे अधिक का संयुक्त अनुभव हो, वह भी संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत ऐसे पद हेतु विचारण एवं नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(iv) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता आवेदन के समय पर देखा जायेगा।

4. **बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट–'ग' के खंड–1 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट–'ग' के खंड–1 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

खंड–1 आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु निश्चित रूप से 35 (पैंतीस) वर्ष होगी एवं 50 (पचास) वर्ष से कम होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/01/26

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/मुक0–08–49/2025–सा0प्र0 2090 /पटना–15, दिनांक 29.01.2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

29/01/26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/मुक0–08–49/2025–सा0प्र0 2090 /पटना–15, दिनांक 29.01.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं0–15 दिनांक 29.01.2026 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/01/26

सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

Notification

Patna-15, Date 29.1.2026

No.7/Muk.-08-49/2025-GAD..2030../In exercise of the powers conferred by Article 233 of the Constitution of India read with the proviso to Article 309, the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following amendment in the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951:-

The Bihar Superior Judicial Service Rules (Amendment) Rules, 2026

1. **Short title, extent and commencement:-**

    (1) These rules may be called the Bihar **"Superior Judicial Service (Amendment) Rules, 2026"**.

    (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

    (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. **In Rule 5(c) (iii) and Explanation (i)(c) under Rule 16(e) to the Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time), after the words "eligible Advocates"**, the words **"/Judicial officers"** shall be inserted.

3. **Substitution of Clause 3 of Appendix 'C' of the "Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time)".**-Clause 3 of Appendix 'C' of the said rules shall be substituted as follows:-

Clause-3 (i) Any applicant who has completed 7 years or more of continuous practice as an Advocate/Pleader including Government Pleaders and Public Prosecutors on the date of application and who give declaration of appearance in at least 24 cases per year in the last three years, shall be eligible for consideration for such appointment;

(ii) Judicial Officers who had already completed seven years or more continuous practice as an Advocate/Pleader including Government Pleaders and Public Prosecutors before being

recruited in the subordinate judicial service on the date of application would also be eligible for being considered and appointed as such;

(iii) A person who has been or who is in judicial service and has a combined experience of seven years or more as an Advocate or a Judicial Officer in continuity on the date of application would also be eligible for being considered and appointed as such under Article 233 of the Constitution;

(iv) The eligibility for appointment as a District & Additional Sessions Judge will be seen at the time of application.

4. Substitution of Clause 1 of Appendix 'C' of the "Bihar Superior Judicial Service Rules, 1951 (as amended from time to time)".-Clause 1 of Appendix 'C' of the said rules shall be substituted as follows:-

Clause-1 Applicant must be of the age of 35 years and below the age of 50 years as on the date of application.

By order of the Governor of Bihar,

29/01/26

(Rajnish Kumar)

Additional Secretary to the Govt.

Memo no. 7/ Muk.-08-49/2025-GAD..2090...../Patna-15, dated..29..1..26

Copies in duplicate along with its C.D. forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna and E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna for Publication in Forth coming issue of extra ordinary Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

29/01/26

Additional Secretary to the Govt.

Memo no. 7/ Muk.-08-49/2025-GAD..2090..../Patna-15, dated..29..1..26

Copy Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna Forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna/ Registrar General, High Court, Patna/Principal Secretary, Cabinet secretariat with reference to Cabinet Item no.-15, dated 29.01.2026/ Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna /Secretary, Law Department, Bihar/All District & Sessions Judges/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

29/01/26.

Additional Secretary to the Govt.

C:\Users\user\Desktop\28-01-2026\49.docx